

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व अपील संख्या 09/2016 (RCMS 2016/00183)

अपीलार्थी

1. रविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सरपंच ग्राम पंचायत खारिया पंचायत समिति कुचामनसिटी
2. पटवारी पटवार मण्डल खारिया तहसील कुचामनसिटी
3. केशर कंवर पत्नि भूरिया जाति दरोगा निवासी खारिया तथाकथित पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत
4. मातादीन माता केशर कंवर पिता भूरिया जाति दरोगा निवासी खारिया तथाकथित पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत
5. उप पंजीयक कुचामनसिटी

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत ग्राम पंचायत खारिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 के तहत स्वीकृति नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम रामनगर पटवार मण्डल खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के विरुद्ध


उपस्थित - श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 4 की ओर से।

आदेश

दिनांक :- 06/03/2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि सबलसिंह के पांच पुत्र पृथ्वीसिंह नाहरसिंह बाघसिंह अर्जुनसिंह व उम्मेदसिंह थे, श्री सबलसिंह के वंशजो का सजरा खानदान निम्नवत है :-



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

राजेन्द्रसिंह प्रपोत्र रविन्द्रसिंह गोद गया उम्मेदसिंह

मौजा ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर गै.मु.ढाणी, कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि श्री उम्मेदसिंह की खातेदारी व कब्जे काशत में आई हुई है, अपीलार्थी के दत्तक पिता श्री उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया का हिन्दू रिती रिवाजों के अनुसार श्रीमति सुगनकंवर से पवित्र अग्नि के सामने सात फरे लेकर धार्मिक मन्त्रोच्चार के साथ विधिवत विवाह चैत्र सुदी 9 सम्वत 1990 में लगभग 83. वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था विवाहोपरान्त श्री उम्मेदसिंह के संसर्ग से अपीलान्त जीवित पुत्र व पुत्री के उत्पन्न नही होने के कारण अपीलार्थी को बचपन में ही नैसर्गिक माता-पिता की मौखिक सहमति से मिताक्षर हिन्दू विधि एवं कुचामन-निमोद क्षेत्र में राजपूत समाज में प्रचलित स्थानीय प्रथाओं, परम्पराओं एवं रूढ़ियों का अनुसरण करते हुये श्री उम्मेदसिंह ने अपीलार्थी को परिवार व राजपूत समाज के व्यक्तियों के समक्ष नैसर्गिक माता-पिता ले लेकर गोद ले लिया, अपीलार्थी बचपन से ही उम्मेदसिंह के साथ निवास करने लगा, अपीलार्थी के दत्तक पिता श्री उम्मेदसिंह ने अपीलार्थी को विधि व सामाजिक परम्पराओं के अनुसार गोद ग्रहण करने की ताईद स्वरूप सम्वत 2047 मिति मगसर सुदी 5 वार बृहस्पतिवार को खारिया निमोद के राठौड़ वंश के वंशावली लेखक राव नादानसिंह निवासी घोलेराव खुर्द तहसील मेड़तासिटी की बही में गांव खारिया तहसील नावां के राठौड़ राजपूत समाज के उपस्थित जन समूह के बीच में केसरीसिंह, अजयपालसिंह सुल्तानसिंह और सुगनसिंह के रुबरू साथ लेकर लिखावट करवा दी इसके बाद जब अपीलार्थी के उम्र 11 वर्ष की थी तब श्री उम्मेदसिंह द्वारा धार्मिक विधि व सामाजिक परम्पराओं के अनुसार गोद लेने देने व वसीयत की याददास्ती के तौर पर सोच समझ कर बिना किसी डर दबाव व बिना किसी नशे पते के स्वस्थचित व स्थित बुद्धि से लिखित गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनांक 4.4.1996 को उपस्थित गवाहों के सामने पंजिबद्ध करवा दिया ताकि इस बाबत उनके नाते रिश्तेदार उज्र ऐतराज करने पर उनका उज्र ऐतराज गैर कानूनी एवं प्रभावहीन समझा जावे, इस प्रकार श्री उम्मेदसिंह एवं अपीलान्त के मध्य पिता



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)


पुत्र का सम्बन्ध है। अपीलार्थी के पिता श्री उम्मेदसिंह की धर्मपत्नि सुगन कंवर का देहान्त 11.11.1990 को हो चुका है श्री उम्मेदसिंह का देहान्त दिनांक 24.03.2003 को होने के बाद अपीलार्थी विधि प्रभाव से मौजा ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर गै.मु.ढाणी, कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलार्थी में निहित हो गये इसके बावजूद ग्राम पंचायत खारिया ने बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये बाले बाले रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 4 ने आपस में मिलीभंगति व सांठ गांठ कर बोगस तथ्यों के आधार पर विधि के प्रभावी प्रावधानों के विपरीत जाकर हल्का पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षक आक्षेपित नामान्तरकरण कार्यवाही फर्जी की गई है जो प्रारम्भ से ही अवैध शून्य एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने के कारण निम्न आधारों पर अपास्त किये जाने योग्य है, उक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि पर विधि अनुसार मृत खातेदार उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत निवासी खारिया का अपीलार्थी गोद पुत्र है इस सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य जैसे वंशावली लेखक व पंजिकृत गोदनामा भी मौजूद है अपीलार्थी को विधि व सामाजिक परम्पराओं के अनुसार गोद ग्रहण करने की ताईद स्वरूप सम्वत 2047 मिति मगसर सुदी 5 बृहस्पतिवार को खारिया निमोद राठौड़ वंश के वंशावली लेखक राव नादानसिंह निवासी घोलेराव खुर्द तहसील मेड़तासिटी की बही में गांव खारिया तहसील नावां के राठौड़ राजपूत समाज के उपस्थिति जन समूह के बीच में केसरीसिंह, अजयपालसिंह सुल्तानसिंह और सुगनसिंह के रूबरू साख लेकर लिखावट करवा दी, इसके बाद जब अपीलार्थी की उम्र 11 वर्ष की थी तब श्री उम्मेदसिंह द्वारा धार्मिक विधि व सामाजिक परम्पराओं के अनुसार गोद लेने व वसीयत की याददास्ती के तौर पर सोच समझ कर बिना किसी डर दबाव व बिना किसी नशे पते के स्वस्थचित व स्थित बुद्धि से लिखित गोदनामा उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनांक 4.4.1996 को पंजिबद्ध करवाया गया, उम्मेदसिंह का दत्तक पुत्र होने के कारण प्रथम श्रेणी का वारिस अपीलार्थी होने के बावजूद जानबूझकर खुले आम कानूनी का उल्लंघन कर हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित ग्राम रामनगर की नामान्तरकरण पंजिका में प्रविष्टि संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 को ग्राम पंचायत खारिया में स्वीकृत करवा लिया जो उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही की अवैधता विधि विरुद्ध के संबंध में आधार है, रेस्पोजेन्ट



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

केशर कंवर पत्नी भूरिया जाति दरोगा निवासी निमोद की रहने वाली है इसका पुत्र मातादीन माता केशर कंवर पिता भूरिया जाति दरोगा है, अर्थात् उम्मेदसिंह की केशर कंवर पत्नी नहीं है और मातादीन भी उम्मेदसिंह का पुत्र नहीं है उक्त दोनो उम्मेदसिंह के नौकर थे इसके बावजूद ग्राम पंचायत खारिया में दर्ज नामान्तरकरण सं. 441 दिनांक 20.10.2016 को स्वीकृति आदेश काशतकारी भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रभावी विधि प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, काशतकारी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रभावी काशतकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 4 की धारा 38 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार अन्तर्गत होते हैं, चूंकि मृतक खातेदार उम्मेदसिंह के उत्तराधिकार अपीलार्थी के नाम खातेदारी में अमल दरामद होना चाहिए था केशर केशरड़ी उर्फ रेस्पोडेन्ट सं. 3 भूरिया की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 भूरिया का पुत्र है इसलिए उक्त दोनो उम्मेदसिंह के उत्तराधिकारी प्रमाणित नहीं है और इन दोनो को उम्मेदसिंह का उत्तराधिकारी बताकर जो नामान्तरकरण कार्यवाही की गयी है व अपने आप में प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी एवं शून्य है तथा ऐसे शून्य बोगस नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने में रेस्पोडेन्ट ने जान बूझकर गलती करके बिना युक्तियुक्त जांच किये गलत अंकन किया गया है, उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आदेश जारी करना अपने आप में महत्वहीन एवं शून्य होने के आधार पर अपीलाण्ट की माता में विधि प्रभाव से निहीत खातेदारी अधिकार से वंचित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 4 के पक्ष में दर्ज किया गया इन्तकाल अपास्त किये जाने योग्य है, ग्राम पंचायत खारिया ने नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रक्रिया में विधि एवं तथ्यों के मध्य नजर सम्यक विधिक सतर्कता नहीं अपनाई रेस्पोडेन्ट सं. 3 4 से मिली भगत व साठ गांठ कर प्रभावी विधि के अनुरूप पवित्रता शुद्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिसीलन नहीं किया ओर चालाकी पूर्ण दिनांक 20.10.2016 के दिन उम्मेदसिंह के वैध वारिस खातेदार अपीलाण्ट कृषि भूमि का फर्जी इन्तकाल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 के पक्ष में विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गई है फलतः ग्राम हरितपुरा के नामान्तरकरण रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 विधि विरुद्ध अन्यायपूर्ण होने से काबिल खारिज है, अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण की कार्यवाही की गयी है जो **abinitio-void** होने से अस्तित्वहीन, प्रभावहीन है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 4 को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता है इसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है यदि किसी ओर हस्तगत कार्यवाही से पूर्व आदेश जेरे अपील की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 441 अपीलाण्ट को सुनकर तस्दीक नहीं किया गया था अपीलाण्ट को जेरे अपील नामान्तरकरण की जानकारी होते ही आज यह अपील पेश की जा रही है, जो नामान्तरकरण विवादित विषय से सम्बन्धित होते हैं ऐसे





उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नामान्तरकरण पर ग्राम पंचायत का देरिना कार्यवाही करने के अधिकार नहीं होते हैं ऐसी परिस्थितियों में आक्षेपित नामान्तरकरण सं. 441 विधि विरुद्ध होने के कारण प्रभावहीन है अतः उक्त नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है, अपीलाण्ट की इस्तदुआ है कि आक्षेपित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम रामनगर पटवार मण्डल खारिया भू.अ.कुचामनसिटी की नामान्तरकरण पंजिका में दर्ज प्रविष्टि संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 को अपास्त कर मौजा खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर गै.मु.ढाणी, कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर खातेदारी के सम्बन्ध में तारीख 20.10.2016 से पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुये उम्मेदसिंह के उत्तराधिकारी अपीलाण्ट के पक्ष को सुनकर खातेदारी में पुनः दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, रेस्पोजेन्ट सं. 1, 2, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोजेन्ट सं. 3, 4 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब अपील प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

रेस्पोजेन्ट सं. 3 व 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि सबलसिंह जी के पांच पुत्र पृथ्वीसिंह, नाहरसिंह, बाघसिंह, अर्जुनसिंह, उम्मेदसिंह वारिसान थे जिनका सजरा खानदान निम्नवत है:-



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अप्रार्थी का कब्जा काश्त मौजा खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर गै.मु.ढाणी, कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर में अन्य सहखातेदारान के साथ आया हुआ है, स्व. उम्मेदसिंह के दो पत्नियों थी, पूर्व पत्नी सुगनकंवर के कोई जाईन्दा सन्तान नही होने से उन्होने केशर कंवर जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 3 है के साथ विवाह कर लेने पर उनके जाइन्दा पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 4 मातादानसिंह पैदा हुआ है जो कि स्व. उम्मेदसिंह के पुत्र सन्तान होते हुए अपीलांट को गोद लेने का प्रश्न ही नही बनता जो कि गोद लेने का कानून ही अधिकार नही था न कभी अपीलांट को गोदी पुत्र रखा है। यह कथन स्व. उम्मेदसिंह जी ने अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के यहा एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था उनके जवाब दावे में कही है कि मैने किसी को कभी गोदी पुत्र नही रखा है व मेरे साथ छल-कपट करके मुझे तहसील कार्यालय में लेकर गये, वसीयत लिखाई गई जिसकी मुझे जानकारी नही है, उसी में ही गोदनामा लिख दिया गया जो कि सरासर झूठा गलत है उसको भी दिनांक 17.08.2001 को वसीयत को निरस्त करा दिया गया है इस प्रकार कभी भी स्व. उम्मेदसिंह का गोदी पुत्र नही रहा है उपरोक्त अपील मे मिथ्या कथन प्रस्तुत किये गये है, उम्मेदसिंह जी अपीलार्थी के कभी पिता नही रहे है न ही अपीलार्थी उम्मेदसिंह का दत्तक पुत्र है, अपीलार्थी अजयपालसिंह निवासी निमोद है उनका जाईन्दा पुत्र है इस प्रकार स्व. उम्मेदसिंह के स्थान पर मौजा खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर गै.मु.ढाणी, कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर गै. मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार स्वतः ही जवाबदाता उत्तरदाता अप्रार्थी सं. 3 व 4 को जरिए उत्तराधिकारी उम्मेदसिंह स्वतः ही प्राप्त हो गये जिसका दिनांक 20.10.2016 नामान्तरकरण सं. 441 ग्राम पंचायत द्वार स्वीकार किया जाकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है, जो कि सही एवं विधि अनुसार की गई कार्यवाही है जिसका उत्तरदाता जवाब प्रस्तुत करने के हकदार है, स्व. उम्मेदसिंह ने अपने जीवनकाल में किसी को कोई गोद पुत्र नहीं रखा है उनसे छल करके एक वसीयत की लिखावट की गई जिसमें गोदनामा और जोड़ा गया जिसको भी दिनांक 17.08.2001 को निरस्त कर



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिंघी (नागौर)

दिया गया है, जाइन्दा पुत्र मातादीन के होते हुए गोदी पुत्र रखने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है जो कि कानूनन भी गलत है, उत्तरदाता रेस्पोंडेन्ट सं. 3 व 4 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नामान्तरकरण जरिये वारिसान उत्तराधिकारी दर्ज हुआ है जो सही एवं दुरुस्त है जो कि स्व. उम्मेदसिंह के एक मात्र पुत्र मातादीनसिंह व पत्नी केशरकंवर उक्त खातेदारी पाने व दर्ज कराने के अधिकारी है, ग्राम पंचायत खारिया द्वारा नामा. सं. 441 ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का ने बाद जांच करके स्व. उम्मेदसिंह के वारिसान की जांच करके सही किया गया है, अपीलांट स्वयं ग्राम निमोद में निवास करता है जिसके राशनकार्ड पहचान पत्र अंकतालिका सभी में उसके पिता नाम नाम अजयपालसिंह दर्ज किया हुआ है, गोदी पुत्र स्व. उम्मेदसिंह का बनता है जो कि गलत है अतः अपील प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। विशेष उजरात में रेस्पोंडेन्ट सं. 3 व 4 ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत खारिया द्वारा नामान्तरकरण जरिए उत्तराधिकारी अधिनियम के आधार पर भरा गया है जो कि स्व. उम्मेदसिंह के पुत्र मातादीनसिंह व पत्नी केशर कंवर के पक्ष में भरा गया जिसके पूरे प्रमाण पेश किये हैं, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, स्कूल के प्रमाण-पत्र इत्यादि साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये हैं, अपीलान्त प्रार्थी रविन्द्रसिंह द्वारा एक राजस्व वाद सं. 161/2000 रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह व राजस्व प्रार्थना-पत्र सं. 76/2000 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के यहाँ प्रस्तुत किया गया उसमें अपने सरक्षक जाइन्दा माता लक्ष्मी कंवर पिता अजयपालसिंह को माना गया है स्वयं के कथन है जो कि उक्त न्यायालय द्वारा खारिज किये गये जिसकी नकल प्रस्तुत की है, स्व. उम्मेदसिंह ने स्वयं ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि उसके द्वारा कभी भी अपीलार्थी को गोद नहीं लिया है छलपूर्वक एक वसीयत करवाई गई उसमें ही यह गोदनामा लिखा गया है इसको भी दिनांक 17.08.2001 को उप पंजीयक कार्यालय में निरस्त की गई है तो वह वसीयत व गोदनामा निरस्त हो गया है जो कि छल कपट से कराया गया है, केशर कंवर पत्नी उम्मेदसिंह के नाम पर सभी दस्तावेज है राशन कार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच द्वारा जारी किया गया वारिसनामा व उसी अनुसार मातादीनसिंह के भी बतौर पुत्र दस्तावेज राशन कार्ड मतदाता पहचान-पत्र आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, बैंक द्वारा ऋण देने का प्रमाण-पत्र इत्यादि में पिताजी का नाम मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह दर्ज चला आ रहा है जो बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, अपीलांट/प्रार्थी न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर के यहाँ एक वाद सं. 47/2003 दीवानी मूल एक दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 13.10.2016 को हो चुका है जिसमें उक्त वाद पत्र को वादी/अपीलांट रविन्द्रसिंह साबित नहीं करा पाया, इस आधार पर उक्त वाद पत्र गोदी पुत्र अपने आपको साबित नहीं कर पाये जाने से वाद खारिज किया गया जिसकी नकल भी संलग्न प्रस्तुत की गयी है, उपरोक्त प्रार्थना-पत्र अपील में प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी कहीं स्व. उम्मेदसिंह का गोदी पुत्र साबित नहीं पाये, न्यायालय में भी असफल रहे तब जबकि गोदी पुत्र का निर्णय श्रीमान न्यायालय सिविल के यहाँ के क्षेत्राधिकार में आता है वहाँ पर अपीलांट को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली उक्त घोषणा का वाद खारिज हो चुका है तो श्रीमान के यहाँ तो उक्त पत्रावली गोदनामा के आधार




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पर मानकर ही की गई है जब गोदनामा के आधार पर मानकर ही की गई है, जब गोदनामा ही मान्य नहीं है व दत्तक पुत्र ही श्रीमन न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर ने नहीं माना तो उक्त न्यायालय में यह अपील व प्रार्थना-पत्र कतई चलने योग्य नहीं है व सुनने का अधिकार ही नहीं है।

दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलांत द्वारा नामान्तरकरण सं. 441 दिनांक 20.10.2016 की नकल, गोदनामा वसीयतनामा की छाया प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2072-2075, राशन कार्ड की छाया प्रतियाँ, मतदाता सूची वर्ष 1971 की छाया प्रति, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2088-2027, मिलान क्षेत्रफल की नकल, दिनांक 22.1.1990 को लिखी गई वसीयत की छाया प्रति, प्रकरण 47/03-सिविल जज के यहाँ प्रस्तुत प्रदर्श फोटोग्राफ की छाया प्रतिया, सन 2007 की मतदाता सूची भाग सं. 67 की छाया प्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में प्रस्तुत प्रकरण रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेदसिंह की छाया प्रतियाँ, मतदाता सूची 1971 की आंशिक प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की है। रेस्पोजेन्ट की ओर से फार्म सं. 3 के साथ 48 दस्तावेज की प्रतिया प्रस्तुत की है। सचिव ग्राम पंचायत खारिया द्वारा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, दोनो ही पक्षो द्वारा प्रस्तुत अपील एवं जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। गोदनामा वसीयतनामा दिनांक 4.4.96 अनुसार उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी द्वारा रविन्द्रसिंह पुत्र अजयपाल सिंह राजपूत निवासी निमोद तहसील डीडवाना को गोद लिया है तथा ग्राम खारिया में स्थि कृषि भूमि खसरा नम्बर 952/664,953/664, 241,242,267,268,269,272,933/273,935/273, 209 726, 727, 728, 729, का अंकन किया हुआ है। जमाबंदी नकल सम्वत 2072-2075 मौजा खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर गै.मु. ढाणी, कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु.बाड़ा, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर में उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत के स्थान पर नामान्तरकरण सं. 441 दिनांक 20.10.2016 के द्वारा केशर कंवर पत्नी उम्मेदसिंह मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह का नाम दर्ज किया गया, नामा. सं. 441 में उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज होकर ग्राम पंचायत खारिया द्वारा नामान्तरकरण पारित किया गया है। राशन कार्ड में उम्मेदसिंह एवं रविन्द्रसिंह का नाम दर्ज है, राशनकार्ड 10.01.1970 अनुसार उम्मेदसिंह सुगनकंवर टंवरी का नाम अंकित है। मतदाता सूची 1971 भाग सं. 32 मे क्र.सं. 234 पर उम्मेदसिंह/सबलसिंह पु. 54, 235 पर सुगनकंवर/उम्मेदसिंह स्त्री 51, 236 पर केशरड़ी/भुरीया स्त्री 36 दर्ज है मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में गत खसरा नम्बर 255 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 289 रकबा 13 बीघा खसरा नम्बर 179 रकबा 5 बीघ 5 बिस्वा कुल



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 32 बीघा में अर्जुनसिंह उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत खुदकाशत दर्ज है। राशन कार्ड 8263200293 ग्राम निमोद में रविन्द्रसिंह का नाम अपनी माता लक्ष्मीकंवर के साथ अंकित है, निर्वाचन पहचान पत्र सं. RJ/25/195/207759 दिनांक 1.1.1998 में मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 39 वर्ष दर्ज है। आधार कार्ड सं. 500535390782 मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जन्म वर्ष 1956 दर्ज है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया अनुसार माताबक्स पुत्र उम्मेदसिंह निवासी कक्षा प्रथम में प्रवेश तिथि 1.7.1963 तथा रेकार्ड अनुसार जन्म तिथि 10.06.1956 है, राशन कार्ड सं. 270 अनुसार मातादीनसिंह श्रीमति ओम कंवर श्रीमति केशर कंवर श्री उम्मेदसिंह का नाम अंकित है, निर्वाचन पहचान पत्र सं. RJ/25/195/207749 केसर/उम्मेदसिंह 1.1.1998 65 वर्ष अंकित है, आधार कार्ड सं. 218668928666 अनुसार केशर/उम्मेदसिंह जन्म तिथि 1.1.1933 दर्ज है, मतदाता सूची 1993 भाग सं. 70 क्र.सं. 512 उम्मेदसिंह/सबलसिंह पु. 65, क्र.सं. 513 केसर/उम्मेदसिंह पु. 62, क्र.सं. 514 मातादीन/उम्मेदसिंह पु. 36, ओमकंवर/मातादीनसिंह स्त्री 32, पेंशन आदेश में भी मातादीनसिंह/उम्मेदसिंह, केशर कंवर पत्नी उम्मेदसिंह 80 वर्ष दर्ज है, ग्राम पंचायत खारिया द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह फौत केशर कंवर (पत्नि) मातादीनसिंह (पुत्र) अंकित है, नोटिस दि. 8.5.2000 अनुसार रविन्द्रसिंह के पक्ष में निष्पादित गोदनामा वसीयतनामा 4.4.1996 को निरस्त का कथन अंकन है, लगान रसीद केसरी पत्नी उम्मेदसिंह के नाम है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक नोटिस 24.04.1986 अनुसार केसरी पत्नी उम्मेदसिंह माताबक्ससिंह पुत्र उम्मेदसिंह के नाम जारी हो रखे है, विद्युत विभाग कुचामनसिटी द्वारा मांग-पत्र दिनांक 7.7.1984 अनुसार मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह खारिया के नाम जारी है, ग्राम पंचायत हीराणी द्वार पट्टा विलेख 1985-86 माताबक्ससिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत खारिया के नाम जारी है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 11.10.2000 अनुसार रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह दिनांक 5.4.2013 को खारिज हुआ है, प्रार्थना-पत्र रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह भी खारिज हो चुका है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर के मुकदमा सं. 47/2003 दी.मु.रविन्द्रसिंह बनाम राज. सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2016 अनुसार मैरिट पर वाद साबित नहीं होने से खारिज किया गया। मुख्यारनामा दिनांक 5.9.2001 अनुसार उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत खारिया द्वारा मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के पक्ष में लिखा गया है, बेचान दिनांक 20.07.1981 अनुसार उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत खारिया द्वारा गणेशराम पुत्र भागीरथराम कुम्हार व श्री माताबगससिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत खारिया को बेचान किया गया है, रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17.08.2001 अनुसार उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत निवासी खारिया द्वारा उपरोक्त खसरान की भूमि की वसीयत केशर कंवर पासवान धर्म पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत आयु 78 वर्ष निवासी खारिया के पक्ष में निष्पादित की गई है। वसीयतनामा दिनांक 22.11.1990 उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह राजपूत खारिया द्वारा रविन्द्रसिंह उर्फ जयवर्धनसिंह पुत्र अजयपालसिंह प्रपोत्र ठाकुर केशरीसिंह निवासी निमोद तहसील डीडवाना के पक्ष में लिखा गया है। शोक संदेश की प्रति अनुसार उम्मेदसिंह का स्वर्गवास दिनांक 24.04.2003 को हुआ है।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में उपलब्ध माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर के यहाँ अपीलार्थी रविन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 14.10.2003 को प्रकरण दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादी को अपने जिम्मे की तनकियात साबित करना था जिसमे वादी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही कर पाया अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2016 को आदेश सुनाया गया। प्रस्तुत प्रकरणो बेचाननामा मातदीन के पक्ष में राशनकार्ड पेशन आदेश पुराने राशनकार्ड मतदाता सूचियो इत्यादि में उम्मेदसिंह की पत्नी केशरकवर एवं पुत्र मातादीनसिंह के होने के तथ्यो से साबित है कि उम्मेदसिंह के वारिसान केशर कवर एवं मातादीनसिंह ही है। रविन्द्रसिंह के पक्ष में लिखा गया वसीयतनामा एवं गोदनामा स्वयं उम्मेदसिंह द्वारा नोटिस दिनांक 17.08.2001 को निरस्त कर दिया गया है, माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के न्यायालय में विचाराधीन रहे प्रकरण रविन्द्रसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह में उम्मेदसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब 19.01.2002 में कथन किया है कि रविन्द्रसिंह को कभी उसके द्वारा गोद नही रखा गया है उसका पुत्र मातादीनसिंह ही है, रविन्द्रसिंह अपनी माता के साथ ग्राम निमोद में निवास करता आया है तथा उसका उम्मेदसिंह के परिवार के साथ किसी प्रकार का नाता नही है। अपीलांट का नाम राशनकार्ड मे अपनी माता लक्ष्मीकवर के साथ दर्ज रहता आया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत राशन कार्ड की छाया प्रति से होती है। उम्मेदसिंह की पत्नी सुगनकवर का देहान्त दिनांक 11.11.1990 को होना वसीयत दिनांक 22.11.1990 में अंकित है उक्त वसीयतनामा के समय रविन्द्रसिंह की उम्र 6 वर्ष थी तथा उम्मेदसिंह की पत्नी का देहान्त हुए बारह दिन ही पुरे नही हुये एवं परिवार के अन्य व्यक्तियो नें मिलकर इस प्रकार का वसीयतनाम तैयार किया गया जिससे बदनीयती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उम्मेदसिंह की मृत्यु दिनांक 24.04.2003 को हुई है तथा रविन्द्रसिंह द्वारा उपखण्ड न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2000 मे प्रस्तुत किया जो वर्ष 2013 में खारिज हुआ है, रविन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 14.10.2003 को माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 13.10.2016 को रविन्द्रसिंह के विरुद्ध प्रकरण निस्तारित किया गया है जिसमें गोदनामा को लेकर तथ्य प्रस्तुत किये गये परन्तु माननीय सिविल न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को उल्लेखित करते हुए निर्णय रविन्द्रसिंह के विरुद्ध निर्णित किया गया, उक्त प्रकरण में भी खुलासा किया गया है कि गोदनामा 4.4.1996 को पंजियन हुआ है जिसमें उम्मेदसिंह की पत्नी का देहान्त 1990 में ही हो चुका है तथा गोदनामा में रविन्द्रसिंह के प्राकृतिक माता-पिता की भी सहमति नही है। रेस्पोजेन्ट सं. 3 व 4 उम्मेदसिंह की पत्नी एवं पुत्र है यह तथ्य उपलब्ध पुराने रेकार्ड इत्यादि से बखुबी साबित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 2 पारित कर एवं वारिस प्रमाण पत्र जारी कर एवं पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय में वाद दिनांक 13.10.2016 को खारिज होने के उपरान्त दिनांक 24.10.2016 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई। रविन्द्रसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी नावां एवं माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण इत्यादि खारिज हो चुके है तथा उम्मेदसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत एवं गोदनामा को निरस्त किये जाने के नोटिस रविन्द्रसिंह को जारी किये गये एवं उम्मेदसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी उम्मेदसिंह



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

को अपना गोदपुत्र नहीं माना है एवं विभिन्न दस्तावेजों में कथन भी किया है कि गोदनामा एवं वसीयत नामा रविन्द्रसिंह द्वारा छलकपट पूर्वक तैयार किये गये हैं। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अपील अपीलांत सारहीन से काबिल खारिज है।

आदेश

अपील अपीलांत सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06/03/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

